एम.ए.सी.पी. संख्या २३८/२०१८,
१. श्रीमती जयन्ती आदिवासी पत्नी स्व. चतुर सिंह उम्र २७ वर्ष
२. उमा आदिवासी पुत्री स्व. चतुर सिंह उम्र ११ वर्ष
३. कु. आरती आदिवासी पुत्री स्व. चतुर सिंह उम्र ९ वर्ष
४. पल्लवी आदिवासी पुत्री स्व. चतुर सिंह उम्र ७ वर्ष
५. संदीप आदिवासी पुत्र स्व. चतुर सिंह उम्र ५ वर्ष
६. कु. सपना आदिवासी पुत्री स्व. चतुर सिंह उम्र ३ वर्ष
७. कपिल आदिवासी पुत्र स्व. चतुर सिंह उम्र ६ माह
८. श्रीमती चिरौजी पत्नी डब्बू माँ श्रीमती जयन्ती उम्र ५२ वर्ष
नाबालिगान जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती जयन्ती
निवासी ग्राम नुनवाहा थाना जिमना जिला दतिया, म.प.

-------याची

प्रति

१. राजेन्द्र यादव तनय बादाम सिंह यादव निवासी ग्राम भदेवरा पोस्ट आसैर जिला दतिया म.प.
.........मालिक वाहन सं. एम.पी. ३२ ए ए ३१७९
२. नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये शाखा प्रबंधक इलाईट टाकीज के पीछे झाँसी, जिला झाँसी
..........बीमाकर्ता वाहन सं. एम.पी. ३२ ए ए ३१७९
३. जयराम पुत्र हजारी लाल नि. दिगारा कोछाभांवर जिला झाँसी उ.प्र.
.......चालक वाहन सं. एम.पी. ३२ ए ए ३१७९

-------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. १ व ३ के अधिवक्ता- श्री राम कुमार
विपक्षी सं. २ के अधिवक्ता- श्री वी.के. मिश्रा

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. २ नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये ।

याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २६बी पर याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २६बी सुलहनामा उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया है। २६बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ७,५०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २६बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २६बी में दर्शित कुल ₹ ७,५०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २६बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २६बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २६बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ नेशनल इश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:54:25 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal
Jhansi

७,५०,००० (सात लाख पचास हजार) भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी.एस. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। याची सं. १ श्रीमती जयन्ती मृतक की पत्नी, याची सं. २ लगायत ७ मृतक की अवयस्क पुत्रियां व पुत्रगण हैं तथा याचिया सं. ८ मृतक की सास है। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची स.१, २, ३, ४, ५, ६, ७ व ८ प्रत्येक क्रमशः ३०, १०, १०, १०, १०, १०,१०, १० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रतिकर की उक्त धनराशि में से याची सं. २ उमा , याची सं. ३ कु. आरती, याची सं. ४ पल्लवी, याची सं. ५ संदीप, याची सं. ६ कु. सपना व याची सं. ७ कपिल अवयस्कगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि उनके वयस्क होने तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा में सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली योजना में निवेशित किये जायेंगे, जिसकी मय ब्याज समस्त धनराशि वे वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेंगे। याचिया सं. १ श्रीमती जयन्ती व याची सं. ८ श्रीमती चिरौजी को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिश्त भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा उनकी शेष ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की उनके नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी।